

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

संख्या-03/बजट-01-01/2026/...../आ0प्र0

सेवा में,

महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना-23, दिनांक-

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष-2245-02-101-0003-संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान में रु० 56.00 लाख, 2245-02-101-0005-आग लगने से राहत कार्य के लिए नकद अनुदान में रु० 23.00 लाख, 2245-02-101-0006-आग लगने से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अनुदान मद में रु० 40.00 लाख, 2245-02-101-0007-आग लगने से क्षतिग्रस्त वस्त्रादि के लिए अनुदान में रु० 25.00 लाख एवं व्यय शीर्ष-2245-02-117-0002-दुधारू पशुओं का बदलाव में रु० 3.99 लाख अर्थात् कुल रु० 147.99 लाख (एक करोड़ सैंतालीस लाख निन्यानवे हजार रुपये) आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:-स्वीकृत।

2. इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़, चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0003-संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान, उपशीर्ष-0005-आग लगने से राहत कार्य के लिए नकद अनुदान, उपशीर्ष-0006-आग लगने से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अनुदान, उपशीर्ष-0007-आग लगने से क्षतिग्रस्त वस्त्रादि के लिए अनुदान, लघुशीर्ष-117-पशुधन के क्रय के लिए किसानों को सहायता, उपशीर्ष-0002-दुधारू पशुओं का बदलाव, मांग संख्या-39, विपत्र कोड-39-2245021010003, 39-2245021010005, 39-2245021010006, 39-2245021010007 एवं 39-2245021170002 के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
3. उपर्युक्त राशि 06 जिलों को लघुशीर्ष/उपशीर्षवार/विषयशीर्षवार एवं पूर्व तथा वर्तमान आवंटित राशि की विवरणी अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है।
4. उक्त आवंटित राशि से जिला पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक-1216 दिनांक-18.08.2026, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-551 दिनांक-07.08.2026, पूर्णियाँ के पत्रांक-1641 दिनांक-13.08.2026, गया के पत्रांक-777 दिनांक-14.08.2026, सिवान के पत्रांक-697 दिनांक-10.08.2026 एवं सीतामढ़ी के पत्रांक-1131 दिनांक-19.08.2026 के द्वारा की गई अधियाचना के आलोक में व्यय किया जाएगा।
5. आवंटित की गई राशि की निकासी **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाएगी।
6. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक-2561वि0 (2) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
7. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(मो० नदीमुल गफ्फार सिद्दीकी)
अपर सचिव

ज्ञापांक-03/बजट-01-01/2026/141...../आ0प्र0, पटना-23 दिनांक- 24-08-26
प्रतिलिपि-

1. वित्त विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
3. संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला पदाधिकारी, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्णियाँ, गया, सिवान एवं सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
7. आई0टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार को विभागीय Web Site पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. श्री अमन कुमार, प्रोग्रामर, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/8
अपर सचिव

अनुलग्नक - I

क्र०	जिला का नाम	2245-02-101-0003-संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान, विषय शीर्ष-37 01-अनुग्रह अनुदान (अगलगी के मददेनजर)	2245-02-101-0005-आग लगने से राहत कार्य के लिए नकद अनुदान विषय शीर्ष-35 01 नगद / वस्तु (अगलगी के मददेनजर)	245-02-101-0006-आग लगने से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अनुदान विषय शीर्ष-35 01-नगद / वस्तु (अगलगी के मददेनजर)	2245-02-101-0007-आग लगने से क्षतिग्रस्त वस्त्रादि के लिए अनुदान विषय शीर्ष-35 01 नगद / वस्तु (अगलगी के मददेनजर)	2245-02-117-0002-दुधारू पशुओं का बदलाव, विषय शीर्ष-35 01- नगद / वस्तु (अगलगी के मददेनजर)	आवंटन का कुल योग		
		पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन
1	किशनगंज	16.00	0.00	40.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2	मुजफ्फरपुर	48.00	0.00	40.00	23.00	20.00	40.00	20.00	25.00
3	पूर्णियाँ	16.00	32.00	50.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00
4	गया	20.00	20.00	40.00	0.00	20.00	0.00	1.00	0.00
5	सीतामढ़ी	20.00	0.00	40.00	0.00	20.00	0.00	3.00	2.00
6	सिवान	16.00	4.00	30.00	0.00	14.00	0.00	1.00	0.00
कुल		136.00	56.00	240.00	23.00	128.00	40.00	128.00	25.00
								9.15	3.99
								641.15	147.99

(एक करोड़ सैंतालीस लाख निम्नानवे हजार रुपये)

अपर सचिव